न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

58

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R-3561-J/14

लक्ष्मणदास गुप्ता तनय नारायणदास गुप्ता
निवासी राजनगर तहसील राजनगर
छतरपुर(म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभीय अधिकारी राजस्व राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ–89अ(13) /10–11 में पारित आदेश दिनांक 17.08.11 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार विनय है कि :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, अआवेदक आ. नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. का भूमिस्वामी काबिजदार है। इस भूमि के कुछ भाग को आवेदक ने सन 2003 से 2010 के बीच अलग अलग खरीददारों को बेचकर कब्जा दखल केताओं को दे दिया, जिस पर रजिस्ट्री के दिनांक से केतागण काबिज दाखिल है। केतागण का नाम भी संदर्भित फैसले में दर्ज है। केतागण अपनी सुविधा अनुसार अपने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3561–एक/2014 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–07–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता बी.एन. त्यागी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर जिला छतरपुर म. प्र. के प्रकरण कमांक 21/अ–89अ(13)/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि कस्बा राजनगर तहसील राजनगर जिला – छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. भूमि का भूमिस्वामी था जिसमें से आवेदक ने अंश रकवा विक्रय कर दी है। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया कि ख.नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. भूमि का भूमिस्वामी आवेदक है। भूमिस्वामी को अपनी भूमि विक्रय करने के कानूनन पूरा अधिकार है जो ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के तहत आवेदक को प्राप्त है। आवेदक ने शासन की पूर्ण स्टांप डयूटी अदा कर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विक्रय पत्र संपादित किये थे। आवेदक को भूखण्डों को विक्रय करने में किसी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा कॉलोनी नहीं बनायी जा रही है न कोई निर्माण कार्य किया गया था यह तो क्रेताओं पर है कि वह उसमें क्या काम करते हैं कैसा निर्माण कार्य कराते हैं ऐसे में आवेदक को निर्माण कार्य की अनुमति लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। पटवारी हल्का के प्रतिवेदन में भी आवेदक द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा न तो कॉलोनी विकसित किया जाना ही साबित हुआ है। वादग्रस्त भूखण्ड 2200/4 में भूखण्ड विक्रय करने का आवेदक को संवैधानिक अधिकार है जिस पर किसी तरह की रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेताओं को न तो पक्षकार बनाया न ही उनकी सुनवाई की गई उन्हें सुने बिना पीठ पीछे राजस्व अभिलेख में विक्रयशुदा भूखण्डों को शामिल कर शासकीय दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. भूमि के सबंध में पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3561–एक/2014 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्षां के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आवेदक वादग्रस्त ख.नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. का अभिलिखित भूमिस्वामी है आवेदक ने वाद भूमि में से अंश रकवा रजिस्टर्ड विकय पत्र से अन्य व्यक्तियों को विर्कय कर दी है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं केताओं को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपने आदेश में आवेदक एवं केताओं के संबंध में निकाले गये निश्कर्ष एवं पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी (राजस्व) राजनगर जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2011 आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख. नं. 2200/4 रकवा 0.494 हे. का संबंध है निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजनगर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार ख.नं. 2200/4/1 रकवा 0.428 हे. पर राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर के स्थान पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। सर्वस्य	